भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4929

जिसका उत्तर सोमवार, 23 मार्च, 2026/2 चैत्र, 1948 (शक) को दिया गया

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की समीक्षा

†4929.श्री परषोत्तमभाई रुपाला:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती जटिलताओं और वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिवेश को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की व्यापक समीक्षा और संशोधन की आवश्यकता पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक और प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण जैसे क्षेत्रीय विनियामकों के बीच विनियामक अतिव्याप्ति के मामलों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में शामिल करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रचलनों को चिह्नित किए जाने हेतु न्यूजीलैंड और श्रीलंका जैसे देशों के केंद्रीय बैंक विधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): मौजूदा अधिनियमों में संशोधनों पर विचार किया जा रहा है, जो उभरते परिदृश्य, प्रचलित पारितंत्र की गतिशीलता के आकलन पर आधारित है, और उन्हें सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने के लिए है, ताकि अधिनियम प्रासंगिक, प्रभावी बने रहें तथा अर्थव्यवस्था की उभरती जटिलताओं का समाधान करने में सक्षम हों। इसके अलावा, सभी संबंधित हितधारकों के साथ सक्रिय और आकर्षक परामर्श किया जाता है, तथा मौजूदा अधिनियमों में किसी भी संशोधन पर विचार करते समय, अन्य क्षेत्राधिकारों की सर्वोत्तम प्रथाओं का विश्लेषण किया जाता है। व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में 'विनियमित संस्थाओं द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सांविधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के परिवर्तित से संबंधित प्रावधान को हाल ही में बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 के माध्यम से संशोधित किया गया था।

आरबीआई बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) को विनियमित करने की अपनी शक्तियां विभिन्न संविधियों जैसे बीआर अधिनियम, आरबीआई अधिनियम, फेमा अधिनियम, सरफेसी अधिनियम आदि से प्राप्त करता है। कुछ मामलों में, विनियमित संस्थाओं की गतिविधियाँ एक से अधिक विनियामकों के दायरे में आ सकती हैं। विभिन्न विनियामकों की विनियामक शक्तियों के ओवरलैपिंग, यदि कोई हो, का आपसी परामर्श से और वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी)/इसकी उप-समितियों द्वारा निपटान किया जा रहा है, जिसमें वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामक शामिल हैं जो किसी भी अंतर-विनियामकीय मुद्दों का समाधान करने और नीतियों में स्थिरता और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत मंच प्रदान करते हैं।
